Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Jamabandi Cancellation Revision No.- 90/2022

S.K. Sayeedur Rahman & Ors ..... Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	15.12.2023	**आदेश** प्रस्तुत वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–482/2020–21 में दिनांक–04.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कुशियारी, थाना सं0–84, अंचल–फलका, C.S. खेसरा सं0–125 (1.53½" एकड़) एवं (एक बीघा 18¼ कट्ठा), C.S. खेसरा सं0–127 (03 बीघा 07 कट्ठा 11½ धूर), C.S. खेसरा सं0–250 (0.45 एकड़) एवं (10 कट्ठा 17 धूर) कुल रकवा–6.92 एकड़ भूमि हाजी बख्शी एवं उनकी पुत्री हलीमन तथा शलीमन द्वारा विक्रय संलेख सं0–2075 दिनांक–02.03.1940, 2138 दिनांक– 22.03.1930 तथा 6613 दिनांक–31.07.1942 द्वारा क्रय करते हुए दखलकार हैं। हाजी बक्शी अपने दो पुत्रियों को छोड़कर गुजर गये। फलतः उक्त सभी भूमि 6.92 एकड़ के ये स्वामी हो गये। बीबी सलीमन एवं पति वाहिद से एक पुत्री बीबी मरियम हुई जबकि बीबी हलीमन पति नवी बख्श से एक पुत्र रियाजूल हक हुआ जिसकी शादी बीबी मरियम से हुई। नवी बख्श की दूसरी पत्नी बीबी अमीरा से तीन पुत्र जमील, शमीद एवं हमीद उर्फ हमीदुर्रहमान हुए। उक्त भूमि इन वारिशानों के बीच बँटवारा हुआ जिसमें रियाजूल हक को 3.46 एकड़ एवं शेष 3.46 एकड़ शेख जमील वगैरह के बीच 1.15 एकड़ प्रत्येक को हिस्से में प्राप्त हुआ। आवेदकगण शेख हामीद उर्फ हमीदूर्ररहमान एवं समीद के वारिशान हैं जिन्हें कुल 02 एकड़ 30 डी0 भूमि उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त है। R.S. सर्वे के दौरान गलती से उक्त 6.92 एकड़ भूमि R.S. खाता सं0–130, R.S. खेसरा सं0–195, 201, 150, 152, 143 वनेश्वर बेलदार, जागेश्वर बेलदार एवं चेचाई बेलदार सभी पिता कोकाई बेलदार के नाम खतियान दर्ज हो गया। जिसके विरूद्ध क्रेता एवं उनके वारिशानों द्वारा Title Suit No.- 12/1964 सब जज, पूर्णिया के समक्ष दायर किया गया जिसे कटिहार जिला बनने के बाद हस्तांतरित कर दिया गया किन्तु कुछ तकनीकी दोष के कारण खारिज हो गया जिसको पुर्नजीवित करने हेतु विविध वाद सं0–18/1978 दायर किया गया जो	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 15.12.2023	दिनांक–25.09.1979 को उपशमित कर दिया गया। Title Suit No.- 12/1964 के वादी जमील द्वारा बनेश्वर बेलदार वगैरह के वारिशानों को मेल में लेकर मो0 ताजीउद्दीन के साथ कुल 6.92 एकड़ भूमि केवाला सं0–132, 133 दिनांक– क्रमशः 03.01.1979 द्वारा प्राप्त कर लिया गया। जबकि आवेदकगण 02.30 एकड़ भूमि पर दखलकार हैं। शेख जमील द्वारा वर्ष 1979 में क्रय के आधार पर लगभग 38 वर्षों बाद अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–58/2018 दायर किया गया जिसे स्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इनके द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी सुधार अपील सं0–482/2020–21 दायर किया गया जिसे खारिज कर दिया गया, जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वज को वर्ष 1930–1942 के बीच विक्रय संलेख से प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि उक्त विक्रय संलेख किसी न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं है। Title Suit No.- 12/1964 में उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वज पक्षकार थे जिन्होंने प्रश्नगत भूमि पर हाजी बख्शी के स्वत्व एवं दखल को स्वीकार किया है। जालसाजी के तहत शेख जमील द्वारा जाली केवाला प्राप्त किया है। चकबंदी अपील सं0–18/1979 में दिनांक–19.10.1979 को पारित आदेश पर निम्न न्यायालय में विचार नहीं किया गया। चकबंदी पुनरीक्षण वाद सं0–1360/1979 में भी आवेदक एवं इनके पूर्वजों को वैध स्वामी माना गया है। अंचलाधिकारी, समेली द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में रकवा–1.15 ⅓ एकड़ से संबंधित नामांतरण वाद सं0–421/1995–96 द्वारा जमाबंदी सं0–777 एवं 778 आवेदकों के नाम दर्ज है। उतने लंबे वर्ष से चल रही जमाबंदी में निम्न न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–02 एवं 03 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कुशियारी, थाना सं0–84, खाता सं0–130, खेसरा सं0–143, 195, 150 एवं 201, कुल रकवा–02 एकड़ 30 डी0 विवादित भूमि है। कुल भूमि 6.92 का स्वत्व दखल–कब्जा खतियानी रैयत वानेश्वर बेलदार वगैरह को प्राप्त था। मूल भू–स्वामी चकबंदी पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर कुल रकवा–6.92 में से 3.46 एकड़ भूमि विक्रय संलेख सं0–132 एवं 133 दिनांक–03.01.1979 द्वारा शेख जमील पिता–नवी बख्श एवं शेष 3.46 एकड़ भूमि ताजउद्दीन पिता–एनामूल के पास बिक्री की गई। जिसकी जमाबंदी क्रेताओं के नाम दर्ज है। शेख जमील की मृत्यु बाद विपक्षी सं0–02 एवं 03 दखलकार हैं। विपक्षी को यह जानकारी हुई कि उनके द्वारा धारित 3.46 में से 2.30 एकड़ भूमि की जमाबंदी आवेदक	

Web Copy. Not Official.

		शैदूर रहमान एवं अन्य के नाम जमाबंदी सं0–777 एवं 778 के रूप में दर्ज है। विपक्षी द्वारा उक्त के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–58/2018 दायर किया गया जिसमें इनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के न्यायालय में प्रश्नगत अपील दायर किया गया जिसे खारिज कर दिया गया। यदि प्रश्नगत भूमि का स्वत्व हलीमन और शलीमन को प्राप्त था तो शलीमन की पुत्री मरियम पति–रिजाबूल (जो हलीमन का पुत्र है) को ही पूर्ण स्वत्व व दखल क्रमशः	
	लगातार 15.12.2023	प्राप्त होगा जो वर्त्तमान में रिजाबूल के वारिशानों को अंतरित होगा। अमीरा खातुन के पुत्रों का वाद भूमि पर कोई हक नहीं है। Title Suit No.- 12/1964 के खारिज हो जाने पर विविध वाद सं0–18/1978 दाखिल किया गया जो चकबंदी अधिनियम की धारा–4(1)(C) के तहत दिनांक–15.09.1979 को पारित आदेश के आलोक में उपशमित हो गया। उक्त मौजा में चकबंदी संपुष्ट नहीं है। बीबी अमीरा पति–नवी बख्श के पुत्र हमीद की मृत्यु अपने पिता के जीवनकाल में हो गया था। फलतः हमीद के वारिशानों का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता है। रियाजूल हक के उत्तराधिकारी मो0 मेराजउद्दीन एवं फकरूद्दीन द्वारा प्रश्नगत भूमि के अन्य क्रेता ताजउद्दीन के उत्तराधिकारियों के विरूद्ध Title Suit No.- 224/2017 सब जज, कटिहार के न्यायालय में दायर किया गया है एवं मो0 सैदूर रहमान तथा अन्य द्वारा विपक्षियों के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि से संबंधित Title Suit No.- 03/2021 सब जज, कटिहार के समक्ष दायर किया गया है। उक्त दोनों वाद विचारार्थ लंबित है। उपरोक्त आलोक में इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष एक हीं पूर्वज के वारिसान हैं। हाजी नवी बक्स ने अपने ससुर (हाजी बक्सी) एवं साली (बीबी सलीमन) के नाम प्रश्नगत भूमि क्रय किया। इन्हें दो पत्नी थी जिनके वारिसान पक्षकार हैं। हाजी नवी बक्स ने अपने जीवनकाल में प्रश्नगत भूमि का बँटवारा किया था जिसमें 3.46 एकड़ भूमि शेख रियाजुल एवं 3.46 एकड़ भूमि समीद जमील तथा सईदुर रहमान के बीच बाँट दिया। उभय पक्षों ने स्वीकार किया है कि खतियान की प्रविष्टि के विरूद्ध Title Suit No.- 12/1964 दायर किया गया जिसमें विपक्षी के पूर्वजों द्वारा भी प्रश्नगत भूमि पर हाजी बक्सी के स्वत्व एवं दखल को स्वीकार किया गया हे। विपक्षी के पिता शेख जमील द्वारा मो0 ताजउद्दीन के साथ मिलकर वर्ष 1979 में दो विक्रय संलेख सं0–132 एवं 133 द्वारा आधी–आधी भूमि खतियानी रैयत से क्रय कर लेने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 के दशक में निष्पादि विक्रय संलेख के आधार पर आवेदकगण को प्राप्त हिस्से की जमाबंदी सं0–777 एवं 778 दर्ज है तथा वे पूर्वजों के समय से दखलकार हैं।	

Web Copy Not Official.

		नामांतरण वाद सं0–421/1995–96 को विपक्षियों द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती दिये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। हाजी बक्सी वगैरह के पक्ष में निष्पादित विक्रय संलेख को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया है जो आज भी अस्तित्व में कायम है। विपक्षियों द्वारा क्रय की गई भूमि के लगभग 39–40 वर्षों बाद जमाबंदी रद्दीकरण में उठाये जाने का कोई ठोस औचित्य परिलक्षित नहीं होता है। चकबंदी के दौरान प्रश्नगत भूमि पर आवेदकों एवं इनके पूर्वजों का वैध स्वामित्व पाया गया है। वस्तुतः प्रस्तुत मामला भू–स्वामी के वंशजों के बीच बँटवारे एवं स्वत्व को लेकर उत्पन्न हुआ है जिसमें स्वत्व का संशलिष्ट प्रश्न (Complex Question of Title) जुड़ा होना स्पष्ट परिलक्षित होता है। जिसके विचारण हेतु उभय पक्षों द्वारा सक्षम व्यवहार न्यायालय में दायर Title Suit No.-224/2017 एवं 03/2021 विचारार्थ लंबित है। क्रमशः	
	लगातार 15.12.2023	ऐसे मामले का विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। निम्न दोनों न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसे सही नहीं माना जा सकता है। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले का विचारण सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा हीं किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप निम्न दोनों न्यायालयों के आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति समाहर्त्ता, कटिहार को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.